दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण कं /2017

III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/4596

1. महावीर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 38 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
2. रामभरत पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 32 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3. राममुकुट पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र–22 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
4. मु.भरोसी बेवा बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 55 वर्ष, निवासी– ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
5. महिला लीलाबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 43 वर्ष, निवासी– ग्राम चोपना तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
6. महिला रामघणी पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 40 वर्ष, निवासी– ग्राम चोपना तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

...आवेदकगण

दिनांक 23-11-17 को श्री गिरीश मिश्रा अभि. द्वारा प्रस्तुत।

23-11-17

पे० दि० 28-11-17

Noted
28/11/17

बनाम

1. महिला मांगीबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि रामअवतार उम्र–40वर्ष जाति मीणा निवासी–ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

...अनावेदक

2. हरीशंकर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3. रामस्वरूप पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, उम्र– 46 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम चोपना तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.... तरतीवी पक्षकार

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 88/15–16/अ.मा. मांगीबाई बनाम महावीर आदि में पारित आदेश दिनांक 31/10/17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग0/श्योपुर/भू.रा./2017/4596

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री गिर्राज सिंघल उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययम किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 88/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 कलेक्टर जिला श्योपुर	